

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए

डीबी आयकर अपील संख्या 20/2024

प्रधान आयकर आयुक्त , जयपुर-II, न्यू सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग, स्टेच्यू सर्किल, जयपुर (राज.)-302005।

----अपीलकर्ता

बनाम

श्रीमती सोनल जैन, सी-6 इंद्रपुरी कॉलोनी लाल कोठी जयपुर-302015 (राजस्थान)।

----प्रतिवादी

से जुड़े

डीबी आयकर अपील संख्या 24/2024

प्रधान आयकर आयुक्त , जयपुर-II, न्यू सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग, स्टेच्यू सर्किल, जयपुर (राज.)-302005।

----अपीलकर्ता

बनाम

श्रीमती सोनल जैन, सी-6, इंद्रपुरी कॉलोनी लाल कोठी जयपुर-302015 (राजस्थान)

----प्रतिवादी

डीबी आयकर अपील संख्या 25/2024

प्रधान आयकर आयुक्त, जयपुर-II, न्यू सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग, स्टेच्यू सर्किल, जयपुर (राज.)-302005।

----अपीलकर्ता

बनाम

श्रीमती सोनल जैन, सी- 6 इंद्रपुरी कॉलोनी लाल कोठी , जयपुर-302015 (राजस्थान)।

----प्रतिवादी

डीबी आयकर अपील संख्या 26/2024

प्रधान आयकर आयुक्त , जयपुर-II, न्यू सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग, स्टेच्यू सर्किल, जयपुर (राज.)-302005।

----अपीलकर्ता

बनाम

श्रीमती सोनल जैन, सी-6 इंद्रपुरी कॉलोनी लाल कोठी जयपुर-302015 (राजस्थान)

----प्रतिवादी

अपीलकर्ता(ओं) के लिए

: श्री संदीप पाठक और श्री पलाश गुप्ता

प्रतिवादी(ओं) के लिए

: श्री सिद्धार्थ सुश्री सात्विका के साथ रांका झा

माननीय श्रीमान. जस्टिस अवनीश झिंगन

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार

आदेश

06/08/2024

1. इन चारों अपीलों पर इस सामान्य आदेश द्वारा निर्णय दिया जा रहा है क्योंकि इनमें शामिल तथ्य और मुद्दे समान हैं। सुविधा के लिए, तथ्य डीबी आयकर अपील संख्या 20/2024 से लिए जा रहे हैं।
2. यह अपील आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, जयपुर (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.03.2023 से व्यथित होकर दायर की गई है।
3. संक्षिप्त तथ्य यह है कि मूल्यांकन वर्ष 2016-2017 के लिए प्रतिवादी ने रिटर्न दाखिल किया। चीन से आयातित पेपर कप मशीनों का कम मूल्यांकन करके सीमा शुल्क की चोरी के संबंध में राजस्व खुफिया निदेशालय (संक्षेप में 'डीआरआई') से सूचना मिलने पर, आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 148 के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी। आयात के मूल्यांकन का निर्धारण करने वाले न्यायनिर्णायक अधिकारी (संक्षेप में 'एओ') द्वारा पारित आदेश के आधार पर, अधिनियम की धारा 148 के तहत कार्यवाही में वृद्धि की गई। प्रतिवादी ने आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष सफलता प्राप्त की और अपील को दिनांक 24.11.2022 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई। न्यायाधिकरण द्वारा राजस्व अपील को खारिज करने पर, वर्तमान अपील दायर की गई है।
4. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलीय प्राधिकारियों को मामले का निर्णय गुण-दोष के आधार पर करना चाहिए था, न कि इस तथ्य पर निर्भर रहना चाहिए कि सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में 'सीईएसटीएटी') ने अपील को स्वीकार कर लिया था और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत परिवर्धनों को हटा दिया था। तर्क यह है कि न्यायाधिकरण ने यह दर्ज करने में गलती की कि राजस्व इस न्यायालय के समक्ष अपील में है, जबकि सीमा शुल्क प्राधिकारियों की अपील लंबित है।
5. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने विवादित आदेश का बचाव किया है। उनका तर्क है कि यह वृद्धि एओ द्वारा किए गए आयात के मूल्यांकन के आधार पर की गई थी और सीईएसटीएटी द्वारा प्रतिवादी की अपील स्वीकार किए जाने के बाद, वह आदेश अब अस्तित्व में नहीं है। यह तर्क दिया गया है कि

न्यायाधिकरण ने राजस्व के हितों की रक्षा की और सीमा शुल्क अपील स्वीकार होने की स्थिति में मामले पर नए सिरे से निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान की।

6. अपील में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न प्रस्तावित किए गए हैं:

“कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न:

1. क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा कानून के अनुसार, माननीय आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा राजस्व की अपील को खारिज करना उचित था, जबकि निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित मूल्यांकन आदेश में क्षेत्राधिकार के अभाव के कारण कोई तकनीकी त्रुटि नहीं थी?

2. क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा कानून के अनुसार, माननीय आईटीएटी द्वारा माननीय सीईएसटीएटी के आदेश पर भरोसा करके तथा मामले के गुण-दोष पर विचार किए बिना राजस्व की अपील को खारिज करना उचित था, तथा इस तथ्य की भी अनदेखी की गई कि माननीय सीईएसटीएटी द्वारा पारित आदेश को सीमा शुल्क विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील के माध्यम से चुनौती दी गई थी?

3. क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा कानून के अनुसार, माननीय आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी) द्वारा राजस्व विभाग को यह स्वतंत्रता प्रदान करना न्यायोचित था कि 'यदि माननीय सीईएसटीएटी द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली सीमा शुल्क विभाग द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपील सफल हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में एओ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय पर विचार करते हुए तथा करदाता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात नया आदेश पारित किया जाएगा ' ; जबकि आयकर विभाग द्वारा ऐसी कोई अपील दायर नहीं की गई है?

4. क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा कानून के अनुसार माननीय आईटीएटी ने वर्तमान मामले के तथ्यों पर स्वतंत्र निष्कर्ष दर्ज किए बिना ही विवादित आदेश पारित करके गलती की है?

7. अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत कार्यवाही डीआरआई से प्राप्त सूचना के आधार पर शुरू की गई थी। आयातित माल के मूल्य निर्धारण हेतु एओ द्वारा पारित आदेश के आधार पर ही ये संशोधन किए गए थे। यह निर्विवाद तथ्य है कि एओ द्वारा पारित आदेश को सीईएसटीएटी द्वारा रद्द कर दिया गया था।

8. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि अपीलीय प्राधिकारियों को मामले का निर्णय गुण-दोष के आधार पर स्वतंत्र रूप से करना चाहिए था, अस्वीकार किया जाता है, क्योंकि अधिनियम की धारा 147 के अंतर्गत किए गए परिवर्धन एओ द्वारा निर्धारित आयातों के मूल्य के आधार पर किए गए थे।

आयकर विभाग ने कोई जाँच या पूछताछ नहीं की थी। एओ द्वारा निर्धारित मूल्य के अलावा कोई अन्य सामग्री नहीं थी, फलस्वरूप, एओ के आदेश को रद्द करने का अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्यवाही पर प्रभाव पड़ा।

9. न्यायाधिकरण ने इस न्यायालय के समक्ष लंबित सीमा शुल्क अपील पर विचार करते हुए, सीमा शुल्क अपील की स्वीकृति के मामले में अपीलकर्ता को नया आदेश पारित करने की स्वतंत्रता प्रदान की।

10. न्यायाधिकरण के आदेश का प्रासंगिक भाग नीचे उद्धृत है:

“4.0 यह उल्लेख करना भी उचित है कि इन अपीलों में राजस्व विभाग को स्वतंत्रता प्रदान की गई है, यदि वे सीईएसटीएटी के आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा दायर अपीलों में सफल होते हैं और फिर उस स्थिति में करदाता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय पर विचार करते हुए एओ द्वारा नया आदेश पारित किया जाएगा।”

11. इसमें कोई विधि का प्रश्न सम्मिलित नहीं है, तथा विधि का कोई सारवान प्रश्न भी सम्मिलित नहीं है, अतः अपीलें खारिज की जाती हैं।

(आशुतोष कुमार), जे

(अवनीश झिंगन), जे

सिंपल/ आरजू /21-24

क्या रिपोर्ट योग्य है : हाँ

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी